



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233662
CG-DL-E-22022022-233662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943

No. 140]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम सं. 74 पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्: -

74"	ईट भट्टे	चिमनी से उत्सर्जन में विविक्त पदार्थ	250 मिलीग्राम/एनएम3
		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट)	14 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 7.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रतिदिन से कम	16 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 8.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रति दिन के बराबर या अधिक	

	चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल शाफ्ट के अलावा)	
	- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रतिदिन से कम	24 मीटर
	- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रति दिन के बराबर या अधिक	27 मीटर

टिप्पणियां :

1. सभी नए ईट भट्टों को केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट के साथ होने की या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और इस अधिसूचना में निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
2. विद्यमान ईट भट्टे जो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्टों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां ने रूपांतरण के लिए अलग से समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, वहां ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।
3. सभी ईट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कि पाइप प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईट भट्टों को नहीं दी जाएगी।
4. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों/रूपरेखा के अनुसार ईट-भट्टे स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।
5. विविक्त सामग्रियों (पीएम) के निष्कर्ष 4% CO₂ पर प्रसामान्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:
पीएम (सामान्य) = (पीएम(मापित) X 4%) / (चिमनी में मापित CO₂ का %, मापित CO₂ के मामले में $\geq 4\%$ कोई प्रसामान्यीकरण नहीं। चिमनी की ऊंचाई (मीटर में) भी $H = 14 Q^{0.3}$ सूत्र (जहां Q kg/hr में SO₂ उत्सर्जन दर है) द्वारा परिकलित की जाएगी, और अधिकतम दो को काम में ले सकेंगे।
6. ईट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।
7. किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।
8. ईट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
9. ईट भट्टों से निकलने वाली राख को ईट बनाने में उसी परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।
10. ईट भट्टे में ईट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।
11. ईट भट्टा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़कें हैं।
12. कच्चे माल/ईटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।"

[फा. सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 04 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सा.का.नि. 724 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

74	Brick Kilns	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm ³
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	27 m

Notes :

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
3. All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
4. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
5. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO₂ as below:

$$PM \text{ (normalized)} = (PM \text{ (measured)} \times 4\%) / (\% \text{ of } CO_2 \text{ measured in stack}), \text{ no normalization in case } CO_2 \text{ measured } \geq 4\%.$$
 Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO₂ emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.
7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.
8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.
9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.
10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.
11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.
12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks”.

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]

NARESH PAL GANGAWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021.